



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैंक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक : 20 दिसम्बर 2019

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

बलात्कार आरोपी कुलदीप सेंगर पर माननीय न्यायालय का फैसला स्वागतयोग्य

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी कुलदीप सेंगर पर आए माननीय न्यायालय के फैसले का हार्दिक स्वागत करती है। अभाविप पुलिस प्रशासन का भी अभिनंदन करती हैं कि उन्होंने आरोपी पर शीघ्र और उचित कार्रवाई करके न्यायालय में लाया। माननीय न्यायालय ने उपर्युक्त मामले में शीघ्रतम कार्रवाई करते हुए पीड़िता के परिवार हेतु न्याय सुनिश्चित किया है। यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में भारतीय नागरिकों के विश्वास को और भी अधिक दृढ़ करेगा।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, "महिलाओं की सुरक्षा को तथा महिलाओं से संबंधित अपराधों में आरोपियों पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों का अंत हो सके। अभाविप आरोपी कुलदीप सेंगर को उम्रकैद तथा आर्थिक दंड का निर्णय देने का माननीय न्यायालय के फैसले का हार्दिक स्वागत करती है। साथ ही पुलिस प्रशासन एवं माननीय न्यायालय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है कि निश्चित समय सीमा में आरोपी के ऊपर कार्रवाई की गई है।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)